

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 4808 / 2017

संजय व अन्य

बनाम

राकेश सेन व अन्य

आदेश दिनांक :

13.09.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री श्रीराम धाकड़, अधिवक्ता—अपीलार्थीगण की ओर से।

सुना गया।

प्रत्यर्थीगण की तामील हेतु आठ सप्ताह में वापिसी योग्य नोटिस तामील हेतु जारी किया जावे।

प्रकरण आठ सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति